प्र0 क0 RCT–1009/2022
पु0 भितरवार वि0 बल्ला उर्फ
वाहिद खां

22-07-2023 राज्य द्वारा एडीपीओ श्री विक्रांत सिंह गौर उपस्थित।

आरोपी बल्ला खां अनुपस्थित। उसकी ओर से श्री हरीश अग्रवाल अधिवक्ता ने उपस्थित होकर हाजिरी माफी आवेदन पेश किया। बाद विचार आवेदन स्वीकार कर जरिये अधिवक्ता उपस्थिति मान्य की गई।

प्रकरण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 321 सी.आर.पी.सी. पर विचार हेतु नियत है।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण को माननीय उच्च न्यायालय SUO MOTO WRIT PETITION (CIVIL) NO.6 OF 2020 IN RE : PROBLEMS AND MISERIES OF MIGRANT LABOURERS में दिनांक 09.06.2020 कोविड–19 के दौरान उपरोक्त अधिनियमों में पंजीबद्ध प्रकरणों के प्रत्याहरण के संबंध में कार्यवाही हेतु समस्त राज्यों को निर्देशित किया गया है।

इसके अनुक्रम में भारत सरकार एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुक्रम में म0प्र0 शासन गृह विभाग भोपाल ने लोकहित में आदेश क्रमांक एफ 35–279/2004/2/सी–2 भोपाल दिनांक 15.06.2023 जिला दण्डाधिकारी को संबोधित करते हुये पारित किया गया है। उक्त आदेश के पृष्ठांकन लोक अभियोजन संचालनालय म0प्र0 भोपाल के पृष्ठांकन क्रमांक–लोक अभि. संचा./प्र.व. /4793/2023 भोपाल दिनांक 22.06.2023 द्वारा किया गया है। उक्त आदेशों के अनुक्रम में **कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ग्वालियर ने आदेश क्रमांक/03 सालि./राज. /9–4/14646/2023/ग्वालियर, दिनांक 30.06.2023 के द्वारा इस प्रकरण को लोकहित में प्रत्याहरित किये जाने हेतु आदेशित किया गया है**।

अभियोजन के उक्त आवेदन के संबंध में तर्क श्रवण किये गये।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि अभियुक्त के विरूद्ध भा0द0स0 की धारा 188, 269, 270 के तहत आरोप विरचित किये गये हैं।

अभियोजन द्वारा उक्त आरोपी के संबंध में इस प्रकरण

को प्रत्याहरित किये जाने का आवेदन किया है। विचारोपरांत अभियोजन का उक्त आवेदन अंतर्गत धारा 321 दं.प्र.सं. स्वीकार करते हुये उक्त प्रकरण को प्रत्याहरित/वापस किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

ऐसी दशा में आरोपी को द.प्र.सं. की धारा 321 के तहत अभियुक्त को भा.द.सं. की धारा 188, 269, 270 के अपराध के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है।

प्रकरण में आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति/मुद्देमाल कुछ नहीं है।

प्रकरण में अभियुक्त को उक्त संबंध में सूचना पत्र जारी हो।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर नियत समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

RAKESH SINGH
Digitally signed by RAKESH SINGH
Date: 2023.07.22 15:07:23 +0530

सही/–
(राकेश सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
भितरवार, जिला–ग्वालियर (म.प्र.)